

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 19/11

संस्थापन दिनांक:-31/01/11

फाईलिंग नं. 233504000302011

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

शिवपाल पिता ठेंगा गोंड,
उम्र 32 वर्ष, निवासी गंज बस स्टेंड आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 27.07.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 30.01.2011 को 19:00 बजे बस स्टेंड आमला में लोक मार्ग पर धारदार गुप्ती अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 30.01.2011 को उप निरीक्षक सरजेराव रोजनामचा सान्हा क. 1135 पर प्राप्त सूचना पर अभियुक्त की तलाश पर बस स्टेंड आमला पहुंचा जहां अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा तथा साक्षियों के समक्ष उसकी तलाशी लेने पर अभियुक्त की कमर में एक गुप्ती मिली जिसे रखने का प्रमाण पत्र अभियुक्त द्वारा पेश नहीं करने पर अभियुक्त से गुप्ती जप्त की गयी एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 23/11 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 30.01.2011 को 19:00 बजे बस स्टैंड आमला में लोक मार्ग पर धारदार गुप्ती अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 सरजेराव भौसले (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 30.01.2011 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए वह रोजनामचा सान्हा 1135 पर प्राप्त सूचना के आधार पर बस स्टैंड आमला पहुंचा जहां अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा तथा उसकी कमर से एक गुप्ती मिली जिसकी वैधता के संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये जिस पर उसने अभियुक्त से गुप्ती जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तैयार किया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क. 23/11 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) लेख की थी। साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त के कब्जे से जप्त की गयी लोहे की गुप्ती आर्टिकल-ए है।

6 लल्लू अमरोही (अ.सा.-1) एवं लक्ष्मण पाल (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साथ ही साक्षियों ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपने हस्ताक्षर से भी इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

7 बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रकट किया कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। एकमात्र पुलिस अधिकारी के कथनों पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

8 बचाव पक्ष के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि यह सही है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी लल्लू अमरोही (अ.सा.-1) एवं लक्ष्मण पाल (अ.सा.-3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र सरजेराव भौसले (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ. आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः तर्क के परिप्रेक्ष्य में विवेचक सरजेराव भौसले की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 सरजेराव भौसले (अ.सा.-2) ने न्यायालय में अपने परीक्षण के द्वारा रोजनामचा सान्हा 1135 पर प्राप्त सूचना के आधार पर बस स्टैंड आमला में पहुंचकर

अभियुक्त को घेराबंदी करके पकड़ना एवं उसके आधिपत्य से गवाहों के समक्ष गुप्ती जप्त कर सील बंद करना तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरांत थाने आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है। उक्त साक्षी को जप्तशुदा लोहे की गुप्ती आर्टिकल-ए दिखाये जाने पर यह प्रकट किया है कि यह वही गुप्ती है जो कि उसने मौके पर अभियुक्त से जप्त की थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 4 में बचाव के सुझाव पर बताया है कि जप्ती पत्रक में जप्तशुदा गुप्ती की नाप किससे की गयी उसका उल्लेख नहीं किया गया है परंतु उक्त साक्षी ने स्वतः में यह बताया है कि विवेचना अधिकारी के पास विवेचना बॉक्स होता है जिसमें विवेचना से संबंधित सभी वस्तुएँ उपलब्ध रहती है उसमें से इंची टेप से आयुध की नाप की जाकर जप्ती पत्रक में उल्लेख किया गया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 5 में बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त से छुरी सार्वजनिक स्थान पर जप्त की गयी थी। स्वतः में इस साक्षी ने कहा है कि बस स्टैंड स्वतः एक सार्वजनिक स्थान है।

10 जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से यह दर्शित है कि जप्तशुदा आयुध गवाहों के समक्ष जप्त कर उसे सील बंद किया गया है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अनुसार जप्तशुदा आयुध की कुल लंबाई 44 सेमी. तथा मूठ की लंबाई 8 सेमी. है। कुल लंबाई 44 सेमी. में से मूठ की लंबाई 8 सेमी. कम किये जाने पर फल की लंबाई 36 सेमी. बचती है जो कि प्रथम दृष्टया 6 इंच से अधिक दर्शित होती है। इस प्रकार जप्तशुदा आयुध मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना में वर्णित प्रतिषिद्ध आयुध की श्रेणी में आता है।

11 प्रकरण में रवानगी एवं वापसी रोजनामचा सान्हा की सत्याप्रति प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है। यद्यपि इसे साक्ष्य के दौरान अभियोजन के द्वारा प्रदर्शित नहीं कराया गया है। अतः उसे साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा रहा है। बचाव पक्ष यह स्थापित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त की पुलिस अधिकारी से कोई रंजिश या पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त को झूठा फंसाये जाने का उद्देश्य रहा हो। विवेचक साक्षी सरजेराव भौंसले (अ.सा.-2) के द्वारा की गयी कार्यवाही को प्रतिपरीक्षण में भी खंडित नहीं किया जा सका है। जहां तक स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा जप्ती का समर्थन न किये जाने का प्रश्न है वहां स्वतंत्र साक्षी लल्लू अमरोही (अ.सा.-1) एवं लक्ष्मण पाल (अ.सा.-3) ने अपने पुलिस कथन से हटकर कथन न्यायालय में किये हैं। उक्त साक्षियों ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षियों पर विश्वास किया जाना स्वतः ही सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण में एकमात्र उपलब्ध विवेचक साक्षी सरजेराव भौंसले (अ.सा.-2) की साक्ष्य एवं उसके द्वारा की गयी कार्यवाही से अभियुक्त के आधिपत्य से कथित आयुध की जप्ती प्रमाणित पायी जाती है।

12 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 30.01.2011 को 07:00 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में एक लोहे की गुप्ती प्रतिबंधित आकार की बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखा। अतः अभियुक्त

शिवपाल को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है।

13 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

14 दंड के प्रश्न पर अभियुक्त, उसके विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान एडीपीओ के तर्क श्रवण किये गये। बचाव पक्ष का तर्क है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त उसके परिवार का कर्ता पुरुष है। उसे परिवीक्षा का लाभ देकर अथवा न्यूनतम अर्थदंड से दंडित कर मुक्त कर दिया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियुक्त को अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

15 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में लोहे की धारदार गुप्ती रखने का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

16 प्रकरण के संपूर्ण तर्कों एवं परिस्थितियों को विचार में लेने के पश्चात् तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को मात्र अर्थदंड से दंडित किया जाना उचित नहीं है। फलतः अभियुक्त शिवपाल को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदंड के दंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

17 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार गुप्ती अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत तोड़कर नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

18 अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जावे एवं इस

संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19 द0प्र0स0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)